

**न्यायालय जिला कलक्टर, एवं जिला पंजीयक, अजमेर**

पंजीयन अपील संख्या - 02/2014

सुभाष राजोरिया पुत्र श्रवण लाल राजोरिया जाति खटीक निवासी केकडी तहसील-केकडी, जिला-अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती दिया कोडवानी पत्नी योगेश कोडवानी जाति सिंधी निवासी केकडी जरिये मुख्तयार आम श्री हरीश कोडवानी पुत्र चन्द्र कुमार कोडवानी जाति सिन्धी निवासी केकडी तहसील-केकडी जिला-अजमेर।
2. श्रीमती दिया कोडवानी पत्नी योगेश कोडवानी जाति सिंधी निवासी केकडी तहसील एवं जिला-अजमेर।
3. उप पंजीयक केकडी, अजमेर।

.....रेस्पॉडेन्टस

उपस्थित :- श्री राकेश अरोडा (अभिभाषक अपीलान्ट)

श्री समीर अहमद (अभिभाषक रेस्पॉ 1)

श्री बसन्त विजयवर्गीय, शिशिर विजयवर्गीय (अभिभाषक रेस्पॉ 2)

अपील अन्तर्गत धारा 73 पंजीयन अधिनियम

**आदेश**

दिनांक: 02.08.2016



अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने रेस्पॉ सं 1 से ग्राम क्लिंमोरी गेट केकडी स्थित प्लॉट नाप 1032 वर्ग फीट का आधा हिस्सा रूपये 1,65,000/- में खरीदकर जरिये मुख्तयार आम विक्रय पत्र निष्पादन कर उप पंजीयक केकडी जिला अजमेर के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार शेष पंजीयन शुल्क रसीद सं 9(7971) से जमा की गई। रेस्पॉडेन्ट दिया कोडवानी द्वारा स्वयं द्वारा निष्पादित मुख्तयारनामा को कूटस्थित एवं बनावटी होना व स्वयं के हस्ताक्षर बनावटी होने का अंकन करते हुए प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर उप पंजीयक केकडी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र को पंजीयन से रोककर दस्तावेज को वापस तौटाये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आक्षेपीय आदेश दिनांक 20.06.2014 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है।


अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पॉडेन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पॉ सं 1 से ग्राम अजमेरी गेट केकडी स्थित प्लॉट नाप 1032 वर्ग फीट का आधा हिस्सा रूपये 1,65,000/- में खरीदकर जरिये मुख्तयार आम विक्रय पत्र निष्पादन कर उप पंजीयक केकडी जिला अजमेर के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। रेस्पॉ सं 1 द्वारा विधिवत रूप से वाक्य सत्यता का प्रतिकल प्राप्त करने का अंकन कर प्रार्थना के पक्ष में विक्रय पत्र

जिला कलक्टर  
अजमेर

निष्पादित किया। तत्पश्चात् उप पंजीयक केकडी के समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर निष्पादन स्वीकार किया गया तथा उक्त संदर्भ में गवाहों द्वारा पहचान का भी अंकन किया गया। नियमानुसार शेष पंजीयन शुल्क राशि रूपये 5280/- रसीद सं० 9(7971) से जमा की गई। उक्त कार्यवाही पश्चात् रेस्पोंडेन्ट सं० 2 दिया कोडवानी ने स्वयं द्वारा निष्पादित मुख्तयारनामा को कूटरचित एवं बनावटी होना व स्वयं के हस्ताक्षर बनावटी होने का अंकन करते हुए प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर उप पंजीयक केकडी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र को पंजीयन से रोककर दस्तावेज को वापस लौटाये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रथमतः अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में निष्पादित मुख्तयारनामा पंजीयन दिनांक तक प्रभाव में था जिसे निरस्त नहीं किया गया था। पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 के अनुसरण में उप पंजीयक का दस्तावेजों की विधि मान्यता से सम्बन्ध नहीं होना वर्णित किया गया है। उक्त आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत रेस्पोंड सं० 3 उप पंजीयक केकडी द्वारा अपने निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रस्तुत विक्रय पत्र को पंजीयन से इन्कार किये जाने का आदेश पारित कर अवैधानिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप पंजीयक केकडी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.6.2014 निरस्त करते हुए विधि अनुसार न्यायहित में पंजीयन हेतु प्रस्तुत उक्त विक्रय पत्र को पंजीयन किये जाने के आदेश उप पंजीयक केकडी को प्रदान करावें।

जवाब में रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोंड सं० 2 दिया कोडवानी की खरीद शुदा संयुक्त स्वामित्व की तीन सम्पत्ति केकडी जिला अजमेर में स्थित है। जिसमें राजकीय अस्पताल के पीछे केकडी स्थित सम्पत्ति तथा अजमेरी गेट केकडी स्थित सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा एवं ग्राम नायकी तहसील केकडी के खाता सं० 189-217 के खसरा सं० 502 की आराजी में 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त सम्पत्ति पर रेस्पोंड सं० 2 खरीद दिनांक से संयुक्त रूप से काबिज मालिक है। श्री हरीश कोडवानी द्वारा दिनांक 6.4.2012 को कथित फर्जी एवं कूटरचित मुख्तयारनामा तैयार कर उक्त संयुक्त सम्पत्ति का विक्रय प्रार्थी को किये जाने का प्रयास करते हुए विक्रय पत्र उप पंजीयक केकडी के समक्ष पंजीयन हेतु दिनांक 20.6.2014 को प्रस्तुत किया गया। इसकी जानकारी होने पर रेस्पोंड सं० 2 द्वारा एक आम सूचना पत्र दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19.6.2014 को प्रकाशित करवा कर रेस्पोंड सं० 2 की लिखित अनुमति के बिना उसकी सम्पत्ति का बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करने बाबत सूचित किया तथा उप पंजीयक केकडी को भी सूचित किया गया। उपपंजीयक केकडी ने उक्त दस्तावेज प्रस्तुत होने पर प्रार्थी के निवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दस्तावेज वापिस लौटाया है। रेस्पोंड सं० 2 द्वारा, हरीश कोडवानी एवं अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट केकडी थाना में दर्ज करवाई जिस पर कार्यवाही जैरकार है। फर्जी तथा कूटरचित मुख्तयारनामा के आधार पर किया गया निष्पादन पर धारा 58 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधान चस्पा नहीं होते हैं। पंजीयन अधिनियम की धारा 34(सी) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी प्रतिनिधि, अभिकृता आदि द्वारा कोई दस्तावेज पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उपपंजीयक ऐसे व्यक्ति के अधिकार के बारे में समाधान करेगा। धारा 35 (3) (a) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना तात्पर्यित है उसके निष्पादन से मना करे तो रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर उसके सम्बन्ध तक दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर देगा। प्रार्थी द्वारा मुख्तयारनामा को निरस्त करने नहीं किये जाने का आधार अपनी बहस में लिया गया है वह रेस्पोंड सं० 1 द्वारा प्रस्तुत किया है, रेस्पोंड सं० 2 द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोंड सं० 2, उक्त फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज से बाध्य नहीं थी फिर भी रेस्पोंड



जिला कलेक्टर  
अजमेर

सं० 2 द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति तथा जरिये कानूनी नोटिस रेस्प० सं० 1 के उक्त कथित फर्जी मुख्तयारनामे को निरस्त कर दिया था। रेस्प०डेन्ट की उक्त सम्पति शामिल है तथा रेस्प०डेन्ट सं० 2 अपने संयुक्त मालिकाना हक की सम्पति पर आज भी काबिज है। अतः उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर उपपंजीयक केकडी द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार होने से अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे। अपने कथनों के समर्थन में 2012(1) CIVIL COURT CASES 164( P&H) PUNJAB & HARIYANA HIGH COURT श्री अजय लूथरा एवं अन्य बनाम डिप्टी कमीश्नर कम रजिस्ट्रार, गुंडगॉव एवं अन्य में registration Act, 1908, Ss. 17, 35(3)(a) तथा Ss. 17, 34 के उद्धरण उद्धृत करवाये।

हमने उभयपक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। उप पंजीयक के समक्ष जिस मुख्तयारनामा आम के आधार पर विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया उसे रेस्प०डेन्ट सं० 2 द्वारा दिनांक 19.6.2014 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति तथा कानूनी नोटिस के मार्फत निरस्त किये जाने के कथनों से स्पष्ट है कि कथित मुख्तयारनामा आम विवादित था। इस परिपेक्ष्य में अभिभाषक रेस्प०डेन्ट सं० 2 द्वारा प्रस्तुत नजीर जिसमें Registration Act, 1908, Ss. 17, 35(3)(a) तथा Ss. 17, 34 बाबत स्पष्ट किया गया है कि "Power of attorney executing a document but principal denying its execution-By executing power of attorney principal does not lose the right to deny execution. Registering Officer cannot register the document by the only fact that power of attorney admits execution. तथा where a document is presented for registration at the instance of a power of attorney, it is duty of Registrar to see whether the requirement of S. 34 had been complied with." प्रकरण में पूर्णतया चस्पता होती है।

अपीलान्त यह साबित करने में भी पूर्णतया असफल रहे हैं कि उपपंजीयक केकडी द्वारा पारित आदेश किस प्रकार से विधि विरुद्ध है। उप पंजीयक के समक्ष जरिये मुख्तयारनामा पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत होने के बाद पंजीयन से पूर्व रेस्प०डेन्ट सं० 2 द्वारा अपनी मालिकाना हक की भूमि के विक्रय दस्तावेज का विरोध प्रकट करते हुए मुख्तयारनामा को पूर्णतया फर्जी, कुटरचित एवं बनावटी बताकर पंजीयन रोकने का निवेदन करते हुए लिखित आवेदन उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार उप पंजीयक केकडी द्वारा नियमानुसार पुस्तक सं० 2 में इन्द्राज कर दस्तावेज को पंजीयन

अनुकार कर लौटाये जाने बाबत सम्पादित कार्यवाही पूर्णतः विधि सम्मत प्रतीत होती है। अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 08.08.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।



(गौरव गोयल)  
जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक  
अजमेर